पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी
अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नही । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो,
देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नही होगी ।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731–529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर – 452 001

क्र. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2021 / 2230
दिनांक : 21 SEP 2021

प्रति,

प्राचार्य / संचालक,
विक्रांत इंस्टिट्युट ऑफ इन्टीग्रेटेड एण्ड एडवांस स्टडीज,
ग्राम बोरखेडी, तह. महू, जिला–इन्दौर।

विषयः– महाविद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिये प्रदान करने विषयक।

सन्दर्भः आपका पत्र क्र. **VIIAS/Renewal of Affiliation/2021-22/1936**, दिनांक 15 / 03 / 2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार संदर्भित पत्र के संबंध में लेख्य है कि आपके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021–22 में निम्नांकित पाठ्यक्रमो की अस्थाई सम्बद्धता निरंतरता शुल्क जी.एस.टी. सहित रूपये राशि 3,18,600 / – एम.पी.ऑनलाइन आई.डी.नं. 21022749767169535554 दिनांक 27 / 02 / 2021 के द्वारा विश्वविद्यालय में जमा किये है।

क्र.	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम का नाम	सीट सख्या
1	बी.बी.ए.	180
2	बी.सी.ए.	60

अतः उपरोक्तानुसार पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक सत्र् 2021–22 में सशर्त अस्थाई सम्बद्धता निरंतरता जारी है।

शर्तेः–

1. राज्य शासन के निर्देशानुसार एवं प्रवेश नियमावली के अनुसार प्रवेश संबंधी कार्यवाही का पूर्ण पालन किया जावे।
2. परीक्षा कार्य में असहयोग करने वाले महाविद्यालयों को आगामी सत्र् में निरंतरता / नवीनीकरण करने पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. महाविद्यालय के आकस्मिक निरीक्षण में यदि पाया जाता है कि यू.जी.सी. मापदण्ड अनुरूप छात्र संख्या अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अन्तर्गत नहीं की गई है तो सम्बद्धता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय / संस्था का होगा।
4. विश्वविद्यालय परिनियम क्रं.27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावें।
5. महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन **aishe.gov.in** के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
6. महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना स्वपोषित इकाई अनिवार्यतः रूप से प्रारंभ की जावे। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सुचारू रूप से संचालन हेतु रूपये 10 / –प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी के मान से शुल्क लिया जा सकता है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्र.शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2021 / 2230
दिनांक 21 SEP 2021

प्रतिलिपिः–

1. उपकुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय / प्रशासन) दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
2. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, दे.अ.वि.वि. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप–कुलसचिव(शैक्ष.)

समस्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी
अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नही । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो,
देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731-529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर - 452 001

क्रं. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2021 / 1483

दिनांक 29 JUN 2021

प्रेषक,

कुलसचिव,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर.

प्रति,

प्राचार्य / संचालक,
विक्रांत इंस्टिट्युट ऑफ इंटिग्रेटेड एण्ड एडवांस स्टडीज,
ग्राम बोरखेडी, तह. महू, जिला-इन्दौर।

विषयः-महाविद्यालय को विभिन्न प्रथम वर्ष पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रदान करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन दिनांक 18/12/2020 के संदर्भ में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11/02/2021 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10/03/2021 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

क्र.	पाठ्यक्रम	सत्र	निर्णय
1	बी.कॉम. प्रथम वर्ष	2021-22	60 छात्रों के प्रवेश हेतु सशर्त अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।
2	बी.कॉम. (कम्प्युटर एप्लीकेशन अति. विषय के साथ) प्रथम वर्ष	2021-22	60 छात्रों के प्रवेश हेतु सशर्त अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।
3	बी.कॉम. (टेक्स प्रोसिजर अति. विषय के साथ) प्रथम वर्ष	2021-22	60 छात्रों के प्रवेश हेतु सशर्त अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

शर्तेः-

1. **Principal, 6 Commerce faculty, 1 Computer faculty to be appointed under college code 28.**
2. **Around 900 books associated with the proposed courses are to be procured.**
3. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति कॉलेज कोड-28 में तीन माह में एवं निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित अन्य कमियों की पूर्ति एक माह में करने की शर्त पर अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।
4. महाविद्यालय उपरोक्तानुसार कमियों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
5. विश्वविद्यालय परिनियम क्रं. 27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावें।
6. महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन **aishe.gov.in** के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
7. महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना स्वपोषित इकाई अनिवार्यतः रूप से प्रारंभ की जावे। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सुचारू रूप से संचालन हेतु रूपये 10/-प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी के मान से शुल्क लिया जा सकता है।

भवदीय

कुलसचिव

क्रं. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2021 / 1483

दिनांक 29 JUN 2021

प्रतिलिपि :-

1. उप-कुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय / प्रशासन एवं शैक्षणिक विभाग पाठ्यक्रम शाखा की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, दे.अ.वि.वि.,इन्दौर की सूचनार्थ प्रेषित।

उप-कुलसचिव(शैक्ष.)